



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)
वाद संख्या:- 55/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :-03.05.2024
GCMS ID-2024/108

उनवान

1. इन्दु नुवाल पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासी इटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
2. राधेश्याम नुवाल आ0 बंशीलाल जाति महाजन निवासी इटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल आ0 नैनादास बैरागी जाति बाबाजी निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
2. राजेन्द्र आ0 जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
3. सुरेश आ0 जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
4. चौथमल आ0 गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
5. मंजू पुत्री मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
6. मूलीलाल आ0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
7. रमेश आ0 गोपी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
8. रमादेवी पत्नी नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
9. राधेश्याम आ0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
10. रामप्रसाद आ0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
11. सूरजमल आ0 गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
12. हरनाथ आ0 भूरा जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
13. चन्द्रप्रकाश आ0 उच्छब लाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
14. कमलेश आ0 भवानीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
15. ओमप्रकाश आ0 फून्दीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
16. मोहनलाल आ0 रुघनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
17. चौथमल आ0 देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
18. प्रमोद आ0 नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
19. उदयलाल आ0 देवलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
20. मोनू आ0 गिरिराज जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
21. राजू आ0 घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
22. नन्दलाल आ0 घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
23. ग्यारसीलाल आ0 घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
24. प्रकाश आ0 घांसीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
25. सुन्दर लाल आ0 प्रहलाद जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
26. किशन आ0 देवा जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।



Shu
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

27. जगदीश आ० खाना जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
28. धर्मराज आ० देवा जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
29. रामदयाल आ० आँकार जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
30. रामप्रसाद आ० प्रताप जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
31. रामा आ० प्रताप जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
32. लादू आ० प्रताप जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
33. बरदीलाल आ० लोडक्या जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
34. बदरीलाल आ० लोडक्या जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
35. कालूलाल आ० रामलाल जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
36. बबलेश आ० रामकिशन जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया।
37. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री विजय माहेश्वरी

वकील अप्रार्थीगण :- अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 36 एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या :-37 परोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार क्षेत्र गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 135 की कृषि भूमि खसरा संख्या 190 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 192 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 193 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 196 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 197 रकबा 0.2423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 198 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 374 रकबा 0.7042 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 5.7790 हैक्टेयर विस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-79 में उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण प्रत्येक का उक्त भूमि 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली में खाता संख्या 134 की कृषि भूमि खसरा संख्या 200 रकबा 1.7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 373 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा संख्या 377 रकबा 0.1781 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.8114 हैक्टेयर विस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-79 में उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में ही खाता संख्या 67 की कृषि भूमि खसरा संख्या 358 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 369 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 371 रकबा 0.2104 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8498 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-79 में प्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमिया एक दूसरे से जुडी हुई है एवं एक चक के रूप में मौके पर विस्थित है। प्रार्थीगण आपस में पति पत्नी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमिया प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की भूमिया है जिन पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं तर्वमान में भी उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण का



Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ही कब्जा काशत है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के चारो ओर अप्रार्थीगण के स्वामित्व अधिपत्य व कब्जे की भूमिया खसरा संख्या 372, खसरा संख्या 701/372, खसरा संख्या 699/358, खसरा संख्या 698/358, खसरा संख्या 370, खसरा संख्या 365, खसरा संख्या 364, खसरा संख्या 247, खसरा संख्या 246, खसरा संख्या 181, खसरा संख्या 187, खसरा संख्या 188, खसरा संख्या 768/379, खसरा संख्या 514, खसरा संख्या 515 व खसरा संख्या 769/379 विस्थित है जिन पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमियों को आधोली पर काशत करवाते हैं, इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियों की सीमा के संबंध में विवाद करते हैं और प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर हो रही मेडबन्दी को हटा देते हैं एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त बात का उलाहना अप्रार्थीगण को देने पर हमेशा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर भूमियों की सीमा के संबंध में कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इस कारण प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों की पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी की खर्चा राशि वहन करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 37 भूमिधारी होने एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ब्राह्मणों की झोपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 190 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 198 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 200 रकबा 1.7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 373 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा संख्या 377 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 358 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 369 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 371 रकबा 0.2104 हैक्टेयर भूमियों की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 36 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 37 पेरोकार सरकार की ओर से राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी आदेश किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेंगे और यह संभव न हो अथवा ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेंगे। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटायें जायेंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. गुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076-79 वाके ग्राम ब्राह्मणों की झोपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 135, 134, 67 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के



रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 135 के खसरा संख्या 190 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 191 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा संख्या 194 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 195 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 198 रकबा 0.2266 हैक्टेयर व खाता संख्या 134 के खसरा संख्या 200 रकबा 1.7240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 373 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा संख्या 377 रकबा 0.1781 हैक्टेयर व खाता संख्या 67 के खसरा संख्या 358 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 369 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 371 रकबा 0.2104 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ ~~कृपया~~ तहसीलदार, ~~हिण्डोली~~ को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

C-A



Shivraj Meena
26/03/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपस्थपड अधिकारी
हिण्डोली